कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री मुकेश पालीवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमा खमनौर, राजसमंद को मेरमचंद हुंडिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोकलसर, बाडमेर में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री मुकेश पालीवाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में अपील संख्या 566/2019 मुकेश पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 566/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री मुकेश पालीवाल के सम्बन्ध में अपास्त किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी श्री मुकेश पालीवाल की हद तक एतद्द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री मुकेश पालीवाल राउमावि सेमा खमनौर, जिला राजसमंद में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/मुकेश पालीवाल/566/2019 दिनांकः 29.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर/जोधपुर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमंद/बाडमेर ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, राजसमंद/बाडमेर
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजसमंद को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)